(11)

अति आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0, महानगर, लखनऊ 226006

पत्रांक–एफएसएल–पदोन्नति–2015 /2075

दिनांक दिसम्बर, /5 2015

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवाये, मुख्यालय उ0प्र0,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया आगरा प्रयोगशाला के पत्र संख्या–836 / एफएसएल(ज्ये0सू0)2015 दिनांक 03.12.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो परिचालित ज्येष्ठता सूची के संबंध मे आपत्ति व्यक्त करते हुये प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे है।

उपरोक्त के संबंध मे आपत्तियो का निवारण निम्नवत् है–

क्र0सं0	उठाई गयी आपत्ति	आपत्ति का निवारण
1	श्री संजीव कुमार द्विवेदी, वैज्ञानिक सहायक द्वारा आपत्ति की गयी कि पारस्परिक श्रेष्ठता सूची मे मेरा नाम सबसे नीचे है जबकि सूचना के अधिकार अधीनियम के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग उ0प्र0 से वर्ष 2010 मे चयनित हुये वैज्ञानिक सहायको की मुख्य सूची मे अपने स्थान की सूचना मांगी थी।	आपत्ति का निवारण करते हुये लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित कमांक 41 पर श्री संजीव कुमार द्विवेदी, वैज्ञानिक सहायक अंकित कर दिया गया है।
2	श्री दयाशंकर, वरिष्ठ सहायक आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि वरिष्ठ सहायको की ज्येष्ठता सूची मे उनका नाम कमांक 01 पर होना चाहिये एवं शैक्षिक योग्यता स्नातक है।	श्री दयाशंकर, वरिष्ठ सहायक, आगरा की आपत्ति का निवारण करते हुये ज्येष्ठता सूची मे कमांक 01 पर तथा शैक्षिक योग्यता स्नातक कर दी गयी है।
3	डा0 राजेन्द्र सिंह, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक द्वारा आपत्ति की गयी है कि वैज्ञानिक सहायक से ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रिक्त पदो पर ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर दिनांक 23.3.1994 को पदोन्नति की गयी थी। जिसमे इनका नाम कमांक 03 पर अंकित था। वर्तमान ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक पद की ज्येष्ठता सूची मे कम संख्या 17 पर रखा गया है।	डा0 राजेन्द्र सिंह, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के संबंध मे अवगत कराना है *उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयन सूची मे श्री राजेन्द्र सिंह का नाम कमांक 32 पर अंकित है जबकि श्री जय प्रकाश राम का नाम कमांक 28 पर अंकित है। किन्तु डा0 राजेन्द्र सिंह की पदोन्नति वैज्ञानिक सहायक से ज्ये0वैज्ञानिक सहायक के पद पर शैक्षिक अर्हता के आधार पर 1994 मे श्री जय प्रकाश राम से पूर्व कर दी गयी थी। जबकि ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार संख्या–13/2/91 टी0सी0 का–1991 कार्मिक अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 20.3.1991 उस स्थिति मे ज्येष्ठता जबकि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाये जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती की जानी हो वहां किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची मे दिखाई गयी है।*

D.P.2015

		उस स्थिति मे ज्येष्ठता जब केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाये। जहा सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तिया केवल एक पोषक संवर्ग मे पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग मे थी। स्पष्टीकरण– पोषक संवर्ग मे ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग से उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात् की गयी हो उस संवर्ग मे जिसमे उनकी पदोन्नति की जाये अपनी ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा। जो पोषक संवर्ग मे थी।
4	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, ज्ये0वै0सहायक फील्ड यूनिट मुज्जफर नगर द्वारा आपत्ति की गयी है कि आयोग द्वारा विषयवार विज्ञापित पदो के सापेक्ष चयनित कार्मिको की अलग–अलग परिणाम सूची को प्रयोगशाला स्तर पर किस आधार पर संयुक्तता प्रदान कर ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है।	उक्त के परिप्रक्ष्य मे अवगत कराना है कि श्रीमती अनीता पुण्डीर, ज्ये0वै0सहायक द्वारा माननीय न्यायालय मे दायर की गयी रिट याचिका मे मा0न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे संयुक्त ज्येष्ठता सूची आयोग द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर बनायी गयी न कि विषयवार बनायी गयी जिसे आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया।

भवदीय,

15-12-15

कृते निदेशक,

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा को इस आशय से प्रेषित कि समस्त आपत्ति कर्ता कामिर्को को अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

2. श्री हरेन्द्र कुमार, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, फील्ड यूनिट, पुलिस लाइन मुज्जफर नगर को सूचनार्थ।